

परिपत्र

राजस्थान राजपत्र विशेषांक क्रमांक 133 दिनांक 01.03.2012 के अनुसार राज्य में पृथक से विशेष योग्यजन निदेशालय की स्थापना की गई, जिसकी अधिसूचना की प्रति विभागीय पत्रांक 1160-1360 दिनांक 19.03.2012 द्वारा आपको भिजवाई जा चुकी है। सक्षम स्तर से निर्णय उपरान्त निःशक्त/निःशक्तजन शब्द के स्थान पर विशेष योग्यजन शब्द प्रयुक्त किया जाना है, किन्तु राज्य में कई विभागों/स्वायत्तशासी निकायों/आयोग/सहकारी संस्थाओं द्वारा अब भी निःशक्त/निःशक्तजन शब्द प्रयोग में लाया जा रहा है।

अतः भविष्य में निःशक्त/निःशक्तजन शब्द के स्थान पर विशेष योग्यजन शब्द का प्रयोग किया जावे तथा समस्त पत्राचार निदेशक विशेष योग्यजन विभाग के नाम से किया जावे।

(अदिति मेहता)

अतिरिक्त मुख्य सचिव

क्रमांक : एफ 16(1)()वि.यो./2012/ 105-87-1/8826

जयपुर, दिनांक : 21-3-12

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, प्रमुख शासन सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
3. विशिष्ट सहायक/निजी सचिव, माननीय मंत्री/राज्यमंत्री.....
राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, मा. आयुक्त, विशेष योग्यजन, राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सचिव, मा. मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान, जयपुर।
6. निजी सचिव, मा. मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान, जयपुर।
7. विशिष्ट सहायक/निजी सचिव, अध्यक्ष.....
आयोग/निगमों राजस्थान, जयपुर।
8. निजी सचिव, समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव महोदय,.....
राजस्थान, जयपुर।
9. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
10. निजी सचिव, आयुक्त, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, राजस्थान, जयपुर।
11. निजी सचिव, संयुक्त सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, नई दिल्ली, भारत सरकार।
12. निजी सचिव, संभागीय आयुक्त, अजमेर/बीकानेर/भरतपुर/कोटा/उदयपुर/जयपुर/जोधपुर।
13. निजी सचिव, सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
14. निजी सचिव, रजिस्ट्रार, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर।
15. निजी सचिव, आयुक्त, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
16. प्रबन्धक, राज्यस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर।
17. समस्त विभागाध्याक्ष.....
18. समस्त जिला कलक्टर.....
19. समस्त पुलिस अधीक्षक.....
20. समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद.....
21. वित्तीय सलाहकार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
22. उप निदेशक/सहायक निदेशक/जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग,.....
23. समस्त सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के समस्त अधिकारीगण.....

निदेशक

एवं विशिष्ट शासन सचिव